महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय
देवास मार्ग, उज्जैन
E-mail : regpsvvmp@rediffmail.com

क्रं. / पासंवि / स्था /   उज्जैन, दिनांक 23.09.21

अतिथि विद्वान आमंत्रण हेतु विज्ञापन

विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में सत्र 2021–22 या नियमित अध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिये अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वेबसाईट पर दिये गये निर्धारित प्रारूप में दिनांक 03.10.21 तक ईमेल regpsvvmp@rediffmail.com पर प्रेषित करें। अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mpsvv.ac.in पर लॉगइन करें।

कुलसचिव

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय

MAHARSHI PANIN SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवास मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) 456 010

E-mail - regpsvvmp@rediffmail.com, Website – www.mpsvv.ac.in

सूचना

विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में सत्र 2021–22 या नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिए निम्नानुसार विषयों के अध्यापन हेतु अतिथि विद्वानों का पैनल तैयार करने के लिये यू.जी.सी. अर्हताधारी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र.	विभाग का नाम	विषय	आवश्यक अतिथि विद्वान	सप्ताह में अध्यापन
1	वेद एवं व्याकरण विभाग	शुक्लयजुर्वेद / कर्मकाण्ड	01 पूर्णकालिक 01 अंशकालिक	29 कालांश 18 कालांश
2	ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग	फलितज्योतिष + ज्योतिर्विज्ञान	01 अंशकालिक	27 कालांश
		वास्तुशास्त्र	01 पूर्णकालिक	27 कालांश
3	संस्कृत साहित्य एवं दर्शन विभाग	न्यायदर्शन	01 पूर्णकालिक	24 कालांश
		साहित्य शास्त्र	01 पूर्णकालिक	27 कालांश
		अद्वैतवेदान्त दर्शन *	01 अंशकालिक	12 कालांश
		संस्कृत साहित्य +साहित्य शास्त्र	01 अंशकालिक	22 कालांश
4	अनिवार्य संस्कृत	अनिवार्य संस्कृत	01 अंशकालिक	18 कालांश
5	शिक्षाशास्त्र विभाग	शिक्षाशास्त्र / संस्कृत	01 पूर्णकालिक 01 अंशकालिक	27 कालांश 24 कालांश
		बी.पी.ई.एस.*	01 पूर्णकालिक 01 अंशकालिक	27 कालांश 12 कालांश
6	योग विभाग	योग	01 पूर्णकालिक	27 कालांश
7	संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण एवं ज्ञान विज्ञान संवर्धन केन्द्र	बी.एस.सी.* (प्राकृतिक चिकित्सा)	02 अंशकालिक	12–12 कालांश
		डिप्लोमा		
		1. संस्कृत सम्भाषण	01 पूर्णकालिक	24 कालांश
		2. योग (पीजी + यूजी)	01 अंशकालिक	15 कालांश
		3. पीजीडीसीए	01 अंशकालिक	09 कालांश
		4. पौरोहित्य (कर्मकाण्ड)	01 अंशकालिक	09 कालांश
		5. मंदिर प्रबन्धन	01 अंशकालिक	06 कालांश
		6. ज्योतिष	01 अंशकालिक	06 कालांश
		7. वैदिकगणित	01 अंशकालिक	06 कालांश
		8. वास्तु	01 अंशकालिक	06 कालांश
		9. पर्यटक मार्गदर्शन*	01 अंशकालिक	06 कालांश
8	आधुनिक विषय	कम्प्युटर एप्लीकेशन*	01 अंशकालिक	07 कालांश
		संगीत गायन*	01 अंशकालिक	06 कालांश
		अर्थशास्त्र*	01 अंशकालिक	06 कालांश
		समाजशास्त्र*	01 अंशकालिक	06 कालांश
		प्राचीन इतिहास*	01 अंशकालिक	06 कालांश
		राजनीति विज्ञान*	01 अंशकालिक	06 कालांश
		गणित*		
		भौतिकी*		
		अंग्रेजी साहित्य		

*तारांकित पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश संतोषजनक होने पर ही शिक्षण हेतु अतिथि विद्वान को आमंत्रित किया जायेगा।

आवेदक को संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में अपेक्षित जानकारी भरकर ईमेल **regpsvvmp@rediffmail.com** दिनांक 03.10.21 तक प्रेषित करना है तथा आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न कर साथ लाना है, साथ ही सभी मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी साथ लेकर निर्धारित दिनांक को सूचना अनुसार (आवश्यक अर्हता एवं नियम निर्देश के पृष्ठ 2 में वर्णित विषयवार के अनुसार) विषय विशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु उपस्थित होना होगा। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।नोट – उक्त विज्ञापन निरस्त करने, स्थानों की संख्या घटाने, बढ़ाने,स्थान भरने न भरने का सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

कुलसचिव

आवश्यक अर्हता एवं नियम–निर्देश

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :–

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध विषय में श्रेश्ठ अकादमिक रिकार्ड–जिसमें संबंधित विशय की स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिषत अंक हो या समकक्ष ग्रेड जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

(टीप) –मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी नहीं।

(iii) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है इस सबके बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन 2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है। (न्यूनतम मानक ए2 विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है) ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी। जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालो की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है। तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एम.फिल/पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपाधि/विनियमों के उपबंधो द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तो पर खरा उतरने के अध्यधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता षर्तो की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:–

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (**Regular**)पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गयी है।

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हो जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (**Refereed**) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. षोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए हो।

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो। उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/समकुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

टीप– मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र एफ–1 118/2012/38–1, दिनांक 5 दिसम्बर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि–11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पीएच.डी प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) यूजीसी का राजपत्र प्रकाषन अधिसूचना दिनांक 04 मई 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / विभिन्न षारीरिक दिव्यांगता वाली (शारीरिक एवं चाक्षुश तौर से पृथक रूप से दिव्यांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिषत की छूट होगी । पात्रता के लिए आवष्यक 55 प्रतिषत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहां पर किसी भी "पाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिषत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणी के लिए व्यक्त की गई है–वे अनुमत होंगी– जो कि अर्हकारी अंको पर आधारित रहेंगी– और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

(v) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिषत की छूट प्रदान की जाएगी–55 प्रतिषत से 50 प्रतिषत।

नोट :– 1. शिक्षा शास्त्र विशय के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त संस्कृत में एम.ए./आचार्य न्यूनतम 55 प्रतिषत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता होगी।

2. सभी पात्र अभ्यर्थियों को विशयविशेषज्ञों के समक्ष चर्चा हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं की पात्रता का सम्यक् परीक्षण कर लें।

3. संस्कृतसम्भाषण प्रशिक्षण हेतु व्याकरण/संस्कृतसाहित्य विषय में यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यता के साथ संस्कृतसम्भाषण शिविरसंचालन का व्यापक अनुभव अपेक्षित होगा।

पैनल बनाने की प्रक्रिया–

अभ्यर्थियों का साक्षात्कार विषय–विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जायेगा। पैनल में नामांकित अभ्यर्थियों में से माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

नियम/शर्ते–

1. अतिथि विद्वान् को आमंत्रित करने की प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि आमन्त्रित अभ्यर्थी के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए आमन्त्रित अभ्यर्थी को इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा मे नहीं है। इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अभ्यर्थी को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अतिथि विद्वान् एक साथ दो संस्थाओं में अध्यापन कार्य नहीं कर सकेगा।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में व्याख्यान हेतु आमन्त्रित अतिथि विद्वान् को कार्य दिवस में कार्यालयीन समय/निर्देशानुसार उपस्थित रहकर चार से पॉच कालखण्डों में व्याख्यान प्रस्तुत करने होंगे तथा विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार शिक्षणेतर कार्य करने होंगे।
3. अतिथि विद्वान् को 31 मई 2022 या सत्रावसान जो भी पहले हो, तक के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को आमंत्रित करने अथवा उसके आमंत्रण को बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। 15 दिवसों तक लगातार अनुपस्थित रहने की दशा में अतिथि विद्वान् का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. उपर्युक्तानुसार आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतया अस्थाई है।
6. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा–निर्देशों में उल्लिखित अर्हताओं का सम्यक अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि यदि आप निर्धारित अर्हताओं को धारित करते हैं तो विषयानुसार चर्चा हेतु निर्धारित तिथि में उपस्थित होने के लिये गमनागमन हेतु ट्रेन/बस का आरक्षण पूर्व से करवा सकते हैं।
7. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का मार्गव्यय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।
8. अभ्यर्थी को निर्धारित प्रोफार्मा में सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र एवं मूल शैक्षणिक दस्तावेज लेकर विषय विशेषज्ञों से चर्चा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना होगा।
9. प्रतिदिवस नियम मानदेय रूपये 1500 में आमंत्रित अतिथि विद्वान पूर्णकालिक अतिथि विद्वान होगा।

मानदेय –

1. आमन्त्रित अतिथि विद्वान् (पूर्णकालिक) को कार्य संतोषजनक होने पर प्रति कार्यदिवस रू. 1500/– किन्तु माह में 30,000/– रू.
   (अक्षरी तीस हजार रू.) से अधिक देय नहीं होगा। कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित दिवस का मानदेय प्रदेय नही
   होगा।
2. अंशकालीन अतिथि विद्वान को रूपये 300/– प्रति कालांश की दर से भुगतान किया जायेगा। किन्तु माह में 30,000/– रू. (अक्षरी तीस हजार रू.) से अधिक देय नहीं होगा।

कुलसचिव